पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 09 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01–08–2020

दिनांक 31/01–08–2020 को रात्रि थाना पारा 07, वजीरगंज 02 गिरफ्तार। **इस प्रकार वांछित में कुल 09 अभियुक्त गिरफ्तार।**

डी0सी0पी0 उत्तरी।

गुण्डा एक्ट की कार्यवाही।

थाना मड़ियांवः–दिनांक 01-08-2020 को श्री विपिन कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक मड़ियांव लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01-रंजीत यादव पुत्र राम दुलारे यादव निवासी अहलादपुर थाना मड़ियांव लखनऊ के विरूद्व यूपी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

अलीगंजः–दिनांक 01-08-2020 को श्री फरीद अहमद प्रभारी निरीक्षक अलीगंज लखनऊ द्वारा अभि0 1-मनीा यादव पुत्र कैला८ यादव निवासी पुरनिया गांव सेक्टर-के0 थाना अलीगंज लखनऊ 2-आ८ीा सिंह उर्फ अल्लू पुत्र ७ीतला प्रसाद सिंह निवासी मकान नं0 ईडी-11 सेक्टर-बी थाना अलीगंज लखनऊ के विरुद्व गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

डी0सी0पी0 पश्चिमी

अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना सआदतगंजः-दिनांक 01-08-2020 को थाना सआदतगंज द्वारा बताया गया कि दिनांक 30-07-2020 को वादी श्री छोटे लाल क८यप पुत्र स्व0 बाबूलाल क८यप निवासी नटकुर थाना सरोजनीनगर लखनऊ द्वारा थाना सआदतगंज पर धारा 306 भादवि का अभियोग बनाम 1-दीपक क८यप के विरूद्व इस सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था कि वादी ने अपने पुत्री गुड़िया उम्र करीब 25 वर्ा का विवाह वर्ा 2012 में दीपक क८यप के साथ किया था, अभियुक्त दीपक द्वारा वादी की पुत्री गड़िया के साथ आये दिन मारपीट करना जिससे वादी की पुत्री गुड़िया द्वारा प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेना, जिसके सम्बन्ध में वादी उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री कुलदीप सिंह गौड़ थाना सआदतगंज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान आज दिनांक 01-08-2020 को** एस0आई0 श्री कुलदीप सिंह गौड़ थाना सआदतगंज लखनऊ द्वारा उपरोक्त मुकदमें के नामजद अभियुक्त 01-दीपक क८यप पुत्र स्व0 दुलारे निवासी तकिया हाजी नुसरत थाना सआदतगंज लखनऊ को मुखबिर की सूचना पर फौव्वारा चौराहा, सआदतगंज से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व थाना सआदतगंज पर आव८यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>डी0सी0पी0 दक्षिणी</u>

<u>गुण्डा एक्ट की कार्यवाही।</u>

<u>थाना गोसाईगंज:</u>–दिनांक 01-08-2020 को श्री धीरेन्द्र प्रताप कु८ावाहा प्रभारी निरीक्षक गोसाईगंज लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01-विजय कुमार पुत्र बाबूलाल निवासी लाल८ाह का पुरवा मजरा मलौली थाना गोसाईगंज लखनऊ के विरूद्व यूपी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

<u>भा0द0वि0</u>

<u>थाना मोहनलालगंज</u>:-दिनांक 01-08-2020 को थाना मोहनलालगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री विजय प्रताप सिंह पुत्र श्री बिन्दादीन सिंह निवासी ग्राम गढ़ी दूलाराय थाना गुरूबक्८ागंज जनपद रायबरेली ने थाना मोहनलालगंज पर सूचना दिया कि वादी ट्रैक्टर का मालिक है। आज दिनांक 01-08-2020 को समय करीब 01.30 बजे वादी के वादी के ड्राइवर अनुज सिंह उम्र करीब 27 वर्ढा पुत्र ७याम सिंह निवासी ग्राम गढ़ी दूलाराय थाना गुरूबक्८ागंज जनपद रायबरेली ने वादी को फोन करके बताया कि नैना ढाबा के पास कनकहा, मोहनलालगंज पर वादी के ट्रैक्टर नं0 यूपी 33 एफ-0168 को एक ट्रक नं0 जेएच 12 के 5925 के चालक नाम पता अज्ञात ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी के उक्त ट्रैक्टर में पीछे से टक्कर मार दिया, टक्कर लगने से वादी का ट्रैक्टर पलट गया जिससे ट्रैक्टर पर बैठे वादी के ड्राइवर का साथी (लेबर) करन उम्र करीब 22 वर्ढा पुत्र स्व0 रामनंद निवासी ग्राम पूरे किन्दई ग्राम व पोस्ट व थाना गुरूबक्८ागंज जनपद रायबरेली गम्भीर रुप से घायल हो गयी, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0 418/2020 धारा 279/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री पटेल सिंह राठी मो0नं0-8941858657 द्वारा की जा रही है।**

MEDIA

MEDIA